

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र

संख्या :- 45/2020

अनवान तहसीलदार

बनाम

सोनाराम पुत्र घीसाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.02.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-निमाज-प्रथम, पटवार हल्का निमाज, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 508 व 508/5 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन दू वन मिलान के मध्य जिन खसरो में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदार के अलग अलग खसरा नम्बरों के रकबों में अन्तर हैं। तथा जमाबन्दी में दर्ज रकबा एवं नक्शा अनुरूप खसरो का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के रकबों की दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम निमाज-प्रथम पटवार हल्का निमाज-प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 508 व 508/5 कुल रकबा 16-09 बीघा खातेदार का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>मौजा निमाज-प्रथम के खसरा नम्बर 508 व 508/5 कुल रकबा 16-09 बीघा भूमि संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार सोनाराम पुत्र घीसाराम कुमार के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का निमाज ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि उक्त खातेदार की उक्त भूमि मौके पर खसरा नम्बर 508 व 508/5 में अलग-अलग भागों में स्थित हैं, खसरा नम्बर 508 रकबा 13-06 बीघा रेकॉर्ड में दर्ज हैं मगर मौके पर 09-09 बीघा हैं। तथा खसरा नम्बर 508/5 रकबा 03-03 दर्ज हैं लेकिन मौके पर 07-00 बीघा हैं। जिसकी दुरुस्ती की जानी उचित है। ताकि DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत वन दू वन मेपिंग तरमीम कार्य में सुविधा होगी तथा रेकॉर्ड भी अपडेट हो जायेगा। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जैतारण द्वारा वास्ते रेकॉर्ड दुरुस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का निमाज की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी गौर किया गया। व पाया कि रेकॉर्ड अपडेट करने तथा नक्शा तरमीम के लिए खसरा नम्बर 508 रकबा 13-06 बीघा भूमि के स्थान पर रकबा 09-09 बीघा एवं खसरा नम्बर 508/5 रकबा 03-03 बीघा के स्थान पर 07-00 बीघा इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा-निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 508 व 508/5 की जमाबन्दी में खातेदार सोनाराम के नाम भूमि दर्ज हैं। पटवारी हल्का निमाज-प्रथम, भू.अ.निरीक्षक निमाज एवं तहसीलदार जैतारण ने रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 508 रकबा 13-06 बीघा भूमि के स्थान पर रकबा 09-09 बीघा एवं खसरा नम्बर 508/5 रकबा 03-03 बीघा के स्थान पर 07-00 बीघा की इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>281 28/2/20</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

